

Ext

(आदेश फलक)

आयालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 118/19

4

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

वासुदेव साहू बनाम विनायक साहू

- 22-10-19
- 11-02-20
- 05-02-20
- 17-03-20
- 03-04-20
- 16-10-20
- 06-11-20

स्थानीय पुलिस अधीक्षक थाना से प्राप्त प्रतिवेदन,

जिससे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुझे विनायक साहू के लोक उमराव पक्ष

की विनायक साहू की अग्रसारित हुए निरीक्षण कार्रवाई की अग्रसारण की जाती है।

21-02-20
Ext
05-02-2021

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों

के विरुद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 22 / 10 2019 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

अधीक्षक
22/10/19
अनु० दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

अनु० दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

22-10-19

अधीक्षक-उपस्थापित। नोटिस तामिल प्राप्त। अग्रिम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधीक्षक कि 11-2-2020 को 249/1 अधीन निर्वाचन कार्य में व्यस्त।

अनु० दण्डाधिकारी
डुमरी

द.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 118 /19-20 .

वासुदेव यादव - बनाम विकास यादव वगैरे


12.12.20


अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


12/12/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।


12/12/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।